<u>नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी</u>
<u>निविदा/सूचना</u>

Name of Work:- Providing of 14 Nos Drivers, 15 nos Safai-Karamchari and Tractor Trolley with 15 nos Drivers including diesel and maintenance for lifting the garbage in Municipal Limit. .

Work ID:- EE/MC/YNR/HEALTH BRANCH

नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र से 1 वर्ष के लिए कूड़ा-कर्कट उठाने हेतू 15 ट्रैक्टर-ट्राली, डीजल व चालक सहित, 15 सफाई कर्मचारी नालो की सफाई के लिए तथा निगम के वाहनों पर 14 वाहन चालक लगाने हेतू इच्छुक व्यक्तियों/ऐजैन्सीयों से 1 वर्ष की अवधि के लिए ई-टैण्डरिंग के माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। ये सेवायें अनुबन्ध आधार पर उपायुक्त दर, ई.पी.एफ. व ई. एस.आई. के साथ वाछिंत है। जिसके लिए निविदाएं दिनांक 26.05.2017 को सायं 5:00 बजे तक वैबसाईट etenders.hry.nic.in/www.mcynr.com पर आमन्त्रित की जाती है।

अतः ठेके से सम्बन्धित आवश्यक सूचना व शर्ते निगम कार्यालय और वैबसाईट पर उपलब्ध है। ठेकेदार/फर्म को 1000 रू. टैण्डर फीस एवं 2 लाख रू. की धरोहर राशि का डी.डी. आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के नाम पर दिनांक 26.05.2017 को सायं 5:00 बजे तक तकनीकी बीड के साथ जमा करवानी होगी।

आयुक्त,
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।

नियम व शर्तें

1. नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के 2 रिफयुज कुलैक्टर, 4 डम्पर प्लेसर, 2 जे.सी.बी, 2 कारकस वैन, 4 ट्रैक्टर ड्राइवर कुल 14 वाहन चालक तथा 15 ट्रैक्टर-ट्राली, डीजल व चालक सहित रखे जाने के लिए ई-टैडरिंग के माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित है।

2. ठेके में भाग लेने वाले ठेकेदार/एजेन्सी के पास वैध लेबर लाईसैंस, ई.एस.आई. नं0, सर्विस टैक्स नं0, पैन/टिन नं0 होना अनिवार्य होगा व ठेकेदार सरकारी विभाग से ब्लैक लिस्ट नहीं है, बारे शपथ पत्र देना होगा। उक्त सभी कागजात तकनीकी बिड के साथ हार्ड व सोफ्ट कॉपी जमा करवाने होंगे। जो फर्म हार्ड कापी समय पर जमा नही करवायेगा तथा तकनीकी बिड के दस्तावेज पूरे नहीं करेगा तो उस फर्म की वित्तीय बिड नहीं खोली जाएगी।

3. a) ई-निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का किसी भी प्रकार के सफाई कार्य से सम्बन्धित 3 वर्षों में कम से कम 50 लाख रूपये प्रति वर्ष की टर्न ओवर होना अनिवार्य है। जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा सी.ए. से सत्यापित तकनीकी बिड के साथ नगर निगम यमुनानगर में उपलब्ध करवानी होगी।

   b) ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को किसी भी प्रकार के सफाई कार्य का तीन वर्ष का अनुभव सरकारी विभाग, नगर निगम/परिषद/पालिका में होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में तकनीकी बिड के साथ जमा करवानी होगी।

4. ठेके की अवधि एक वर्ष तक होगी जिसमें पहले तीन मास की अवधि ट्रायल आधार पर होगी यदि इस अवधि में कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेके की अवधि एक वर्ष तक के लिए कर दी जायेगी। इसके पश्चात दोनो पक्षों की सहमति से कार्य एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

5. प्रत्येक ठेके के लिए ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को धरोहर राशि के रूप में 2 लाख रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के पक्ष में दिनांक 26.05.2017 को सायं पांच बजे से पूर्व जमा करवाना होगा। ऐसा न करने की सूरत में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी की निविदा मान्य नहीं होगी।

6. ई-निविदा में सफल निविदादाता को निविदा के साथ जमा करवाए गए 2 लाख रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट को नगर निगम कोष में धरोहर राशि के रूप में परवर्तित कर दिया जायेगा। उक्त 2 लाख रू0 की धरोहर राशि ठेके की अवधि को कार्य संतोषजनक पूर्ण होने उपरान्त बिना ब्याज के वापिस कर दिया जायेगा।

7. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को वाहन चालकों, कर्मचारियो को डी.सी.रेट के अनुसार भुगतान किया जायेगा। अगर समय-समय पर डी.सी.रेट कम या अधिक होंगे तो उसके अनुसार राशि मान्य होगी तथा वाहन चालकों, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नगर निगम द्वारा सीधे तौर पर बैंक खातों के माध्यम से किया जायेगा तथा ई.पी.एफ, ई.एस.आई. की राशि भी सीधे तौर पर नगर निगम द्वारा कर्मचारियों के खातों मे जमा करवाई जायेगी। **ठेकेदार को केवल ट्रैक्टर-ट्राली व सर्विस चार्ज की राशि का भुगतान टी.डी.एस. आदि काटकर नियमानुसार किया जायेगा।**

8. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा नगर पार्षद व आम जनता द्वारा की गई शिकायत 24 घंटे के अन्दर-2 निपटान करके निगम कार्यालय में भी सूचित करना होगा तथा उनको मोबाईल फोन व आवागमन के साधन देने होंगे।

9. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को वाहनों चालको व कर्मचारियों की वर्दी तथा ठेकेदार द्वारा लगाए गए 15 ट्रैक्टर-ट्राली पर आने वाले डीजल, चालक व रखरखाव आदि का खर्च तथा प्रबन्ध अपने स्तर पर करना होगा तथा अपने वाहनों पर जी.पी.एस. भी लगवाना होगा और सभी कुलेक्शन प्वाइंट से कूड़ा एकत्रित करके दिन में कम से कम दो बार डम्पिंग प्वाइंट तक पहुंचाना होगा। अगर कुलेक्शन प्वाइंट पर गंदगी पाई जाती है तथा एकत्रित किए गए कूड़े को समय पर नहीं उठाया जाता है तो ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी पर पहले दिन 250 रू0 प्रति डस्टबीन/स्थान जुर्माना लगाया जायेगा अगर शिकायत के उपरान्त दूसरे दिन भी डस्टबीन/स्थान के बाहर कूड़ा पाया गया तो 500 रू0 प्रति डस्टबीन/स्थान जुर्माना लगाया जायेगा। जिसकी राशि बिल में से काट ली जाएगी। अगर फिर भी कूड़ा नहीं उठवाया जाता तो प्रतिदिन 500-500 रू0 बढ़ाकर जुर्माना लगाया जाता रहेगा।

10. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वाहन चालक के पास मोबाईल फोन तथा आवागमन के साधन हो तथा ये कर्मचारी डयूटी के समय अपने वाहनो पर उपलब्ध रहेंगे तथा उनके मोबाईल नम्बर कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे।

11. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा जो कर्मचारी, वाहन चालक इस कार्य के लिए रखे जायेगे वे सभी वर्दी में होंगे जिन्हें ठेकेदार अपने स्तर पर उपलब्ध करवायेगा। उन सब की आयु 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी लगाये गये किसी भी कर्मचारी से दुर्घटना या लड़ाई-झगडा होता है तो उसका निपटान ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा अपने स्तर पर करना होगा तथा नगर निगम की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

13. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा प्रति मास बिल प्रस्तुत करना होगा। जिसकी अदायगी वर्क आर्डर में दी गई राशि में से नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य लागू सरकारी टैक्स आदि काटकर की जायेगी।

14. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा नियम व शर्तो के अनुसार 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर-2 इकरारनामा करना होगा।

15. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को राजकीय अवकाश वाले दिन भी कूड़ा उठाने का प्रबन्ध करना होगा। तथा कूडे को डम्पिंग प्वाइंट तक ढककर पहुंचाना होगा, ऐसा न करने पर 500 रू0 प्रति वाहन जुर्माना राशि वसूल की जायेगी। इसके अतिरिक्त कुलेक्शन प्वाइंट को भी साफ-सुथरा रखेगा। कूड़ा उठाने के पश्चात् उन स्थानों तक चूना/वलिचिंग पाउडर का छिड़काव भी करना होगा।

16. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी किसी अन्य ठेकेदार को कार्य सबलैट नहीं करेगा यदि ऐसा करता है तो आयुक्त नगर निगम को बिना किसी प्रकार की सूचना के ठेका रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को सफाई व्यवस्था/वाहनों का निरीक्षण करने बारे सम्पूर्ण अधिकार होगा व उनकी रिपोर्ट अनुसार आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

18. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा निगम क्षेत्र से दिन में दो बार कूड़ा उठवाने का कार्य, सुबह 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक करवाना होगा। ठेकेदार द्वारा लगाई गई ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा कूडा उठाने के लिए कम से कम 2 चक्कर लगाने होंगे। आपातकालीन स्थिति मे इससे अधिक भी कार्य करना पड सकता है। जिसके लिए उक्त समय मे बदलाव भी किया जा सकता है। जिस बारे ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

19. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा निगम के वाहनों पर कार्य कर रहे वाहन चालकों को प्राथमिकता के आधार पर निगम के वाहनों को चलाने के लिए रखना होगा।

20. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाए गए वाहनों को चलाने के लिए लगाए गए ड्राइवरों के पास वैध ड्राईविंग लाईसैंस होना अनिवार्य है। जिनकी फोटो प्रति कार्यालय में जमा करवायेगा।

21. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को बिल की अदायगी वरिष्ठ सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षकों की संतुष्टि रिपोर्ट देने पर ही की जाएगी।

22. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी नगर निगम क्षेत्र से कूडा उठाने के लिए जो वाहन नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। उनकी मुरम्मत व डीजल आदि का खर्च भी नगर निगम द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु ठेकेदार द्वारा कूडा उठवाने के लिए जो 15 ट्रैक्टर-ट्राली ड्राईवर सहित लगाई जायेगीं। उन पर आने वाला डीजल व मुरम्मत आदि का खर्च स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन करना होगा। उक्त सभी वाहनों पर हैल्पर/सफाई कर्मचारी निगम अपने स्तर पर उपलब्ध करवायेगा।

23. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के कर्मचारी यदि किसी अवस्था में हड़ताल/नारेबाजी आदि करते है तो प्रति घटना के अनुसार 5000 रू0 बिल में से काट लिया जाएगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

24. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये कोई भी कर्मचारी नगर निगम के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी, नगर पार्षद अथवा आम जनता से दुर्व्यवहार करता पाया जाता है तो उस कर्मचारी को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा।

25. निगम द्वारा किसी भी समय वाहन चालकों, सफाई कर्मचारियों अथवा ट्रैक्टर-ट्राली की संख्या कम या अधिक की जा सकती है यदि वाहन चालकों, सफाई कर्मचारियों अथवा ट्रैक्टर-ट्राली की संख्या मे वृद्धि की जाती है तो ठेकेदार की राशि मे उसी अनुपात मे वृद्धि कर दी जायेगी यदि वाहन चालकों, सफाई कर्मचारियों अथवा ट्रैक्टर-ट्राली की संख्या मे कमी की जाती है तो ठेकेदार से उसी अनुपात मे राशि कम कर दी जायेगी।

26. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा किसी भी लेबर कानून अधिनियम की उल्लघंना के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा तथा किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों का पालन करने का बाध्य होगा।

27. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में राजकीय अवकाश तथा वी0आई0पी0 के आगमन, आपातकालीन स्थिति व किसी भी प्रकार के समारोह के लिए कार्य करवाने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

28. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट नहीं उठायेगा न ही इसे अन्य कूड़े में मिलने देगा।

29. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के जीवन/स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेवारी एजेन्सी की होगी व प्रत्येक कर्मचारी को अपने स्तर पर पहचान पत्र देना होगा।

30. किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर निगम के पास सुरक्षित होगा।

31. आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को कार्य संतोषजनक न होने अथवा किसी भी समय बिना कारण बताए ठेका रद्द करने का व शर्तों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित होगा। जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का कोई भी एतराज मान्य न होगा।

32. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के पास कार्य में प्रयोग होने वाले सभी वाहन चालको, कर्मचारियों व साधनों की सूची (मलकीयत/लीज) सहित सभी वाहनों का रूट चार्ट नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी।

33. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवर की सफाई से जो कूड़ा/सिल्ट निकाली जाएगी वह भी उसी समय उठवानी होगी इसके अतिरिक्त छोटे मृत जानवर कुत्ता, बिल्ली आदि भी उठवाने होंगे।

34. आम जनता द्वारा फैंके गए किसी भी प्रकार के पेड़-पौधो की कटिंग जैसे घास, टहनियां व पत्ते इत्यादि भी उठवाने होंगे।

35. नियम व शर्तो में यदि व्याख्या (Interpretation) में कोई संदेह उत्पन्न होता है उस बारे में ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा लिखित में कार्यालय को देना होगा जिस पर अन्तिम फैसला आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी का मान्य होगा।

36. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को इकरारनामे की शर्तों व अन्य किसी कार्य पर मतभेद होने पर निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, पंचकूला मध्यस्ता अधिकारी (आर्बीट्रेटर) होंगे। मध्यस्ता अधिकारी (आर्बीट्रेटर) द्वारा दिया गया फैसला व आदेश दोनों पक्षों को मान्य होंगे।